6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102 गंगटोक, सिक्किम, भारत फोन-03592-251212, 251415, 251656

टेलीफैक्स -251067

वेबसाइट - www.cus.ac.in



6th Mile, Samdur, Tadong -737102 Gangtok, Sikkim, India Ph. 03592-251212, 251415, 251656 Telefax: 251067

Website: www.cus.ac.in

www.cus.ac

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय) (A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

SU/REG/F-2/34/2018/Vol-I 951

Date: 20th February 2024

Notification - 28 /2024

The Executive Council in its 44th meeting held on 27th December 2023, on the recommendation of the Academic Council, approved the following Regulations based on the National Education Policy 2020 as enclosed herewith:

RE-13: Regulations for the Implementation of MOOCs through SWAYAM

RE-14: Regulations for implementation of Multiple Entry and Exit

RE-15: Regulations for operationalizing Academic Bank of Credits

RE-16: Regulations on Internationalization of Sikkim University

RE-17: Regulations for engaging Professors of Practice

(Prof. Laxuman Sharma) Registrar (I/C)

Distribution:

- 1. PS to VC for kind information of the Vice-Chancellor
- 2. PS to Registrar
- 3. Finance Officer
- 4. Controller of Examinations
- 5. Librarian
- 6. Deans of Schools of Studies
- 7. Principals of all the Affiliated Colleges
- 8. Dean, Students' Welfare
- 9. Heads/In-charge(s) of all Departments
- 10. Joint Registrar (Academic)
- 11. System Management for uploading on the website
- 12. Office Copy
- 13. Guard file

कुलमचिव (प्रभारी) Registrar (In-Charge) सिवेकम विश्वविद्यालय SIKKIM UNIVERSITY 6 माइल, सामदुर, तादोंग *-737*102 गंगटोक, सिक्किम, भारत

फोन-03592-251212, 251415, 251656

टेलीफैक्स -251067

वेबसाइट - www.cus.ac.in



6th Mile, Samdur, Tadong -737102 Gangtok, Sikkim, India Ph. 03592-251212, 251415, 251656 Telefax: 251067

दिनांक: 20 फरवरी 2024

Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय) (A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

SU/REG/F-2/34/2018/Vol-I 951

अधिस्चना -/ 🤱 2024

दिनांक 27 दिसंबर 2023 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 44वीं बैठक में शैक्षणिक परिषद की सिफ़ारिशों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर निम्नलिखित विनियमों को नीचे संलग्न किए जाने के अनुसार एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है :

आरई-13

स्वयम के माध्यम से व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (MOOCs) के कार्यान्वयन

के लिए विनियम

आरई-14

एकाधिक प्रवेश और निकास के कार्यान्वयन के लिए विनियम

आरई-15

शैक्षणिक बैंक ऑफ क्रेडिट के संचालन के लिए विनियम

आरई-16

सिक्किम विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर विनियम

आरई-17

प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्ति के लिए विनियम

्रीक्ष्मण (प्रो. लक्ष्मण शर्मा) क्लसचिव (प्रभारी)

्क्लमचिव (प्रभारी) Registrar (In-Charge) सिविकम विश्वविद्यालय

SIKKIM UNIVERSITY

वितरण:

- 1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
- 2. कुलसचिव के निजी सचिव
- 3. वित अधिकारी
- 4. परीक्षा नियंत्रक
- 5. प्रतकालयाध्यक्ष
- 6. अध्ययन विद्यापीठों के डीन
- 7. सभी सम्बद्ध महाविदयालयों के प्राचार्य
- 8. छात्र कल्याण डीन
- 9. सभी विभागों के अध्यक्ष/प्रभारी
- 10. संयुक्त क्लसचिव (शैक्षणिक)
- 11. सिस्टम मैनेजमेंट वैबसाइट में अपलोड करने हेत्
- 12. कार्यालय प्रति
- 13. सुरक्षा फाइल